दिनांक 31.03.2021
प्रेस विज्ञप्ति 31/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव–2021 की तैयारियो के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देश

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 श्री एच0सी0 अवस्थी द्वारा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव–2021 के दृष्टिगत मुख्यालय स्तर से समय–समय पर निर्गत विस्तृत दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन करते हुये उनके क्रम में कार्यवाही हेतु पुनः मुख्यतः निम्न दिशा निर्देश निर्गत किये गये है।

- पुरस्कार घोषित अपराधी तथा ऐसे अपराधी जो विभिन्न अपराधो में नामजद/वॉछित अपराधियों के विरूद्व अभियान चलाकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाये।
- थानो में सक्रिय एवं पेशवर अपराधियों की सूची अद्यावधिक कर उनके विरूद्ध अभियान चलाकर विधिक कार्यवाही की जाये।
- माननीय न्यायालय द्वारा अपराधियों के विरूद्ध निर्गत गैर जमानतीय एवं जमानतीय वारण्टो का तामीला तत्परता से कराया जाये।
- वर्ष 2015 में सम्पन्न हुये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान घटित घटनाओं का विश्लेषण कर विधिक कार्यवाही की जाये।
- पूर्व में घटित चुनाव सम्बन्धी अपराधों में लिप्त पाये गये व्यक्तियों की निगरानी की जाये।
- ऐसे अपराधी जो जमानत पर है तथा अपराध में लिप्त है उनके जमानत निरस्त्रीकरण की कार्यवाही समुचित ढ़ंग से करायी जाये। जमानत की शर्तो का उल्लघन होने की दशा में जमानतदारो के विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जाये।

- लाईसेन्सी शस्त्रों का सत्यापन कराया जाये तथा मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से लाईसेंसी शस्त्र दुकानों की चेकिंग नियमानुसार की जाये।
- अपराधियों के विरूद्ध उनके आपराधिक कृत्यों की गम्भीरता, आपराधिक इतिहास आदि के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम/गैंगेस्टर अधिनियम/गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत परीक्षणोपरान्त प्रभावी कार्यवाही की जाये।
- वाहनो की आकस्मिक एवं प्रभावी चेकिंग करायी जाये। किसी भी प्रकार की आपत्ति जनक वस्तु अथवा असामाजिक तत्वों के आवागमन को प्रभावी रूप से रोका जाये।
- सार्वजनिक स्थलों पर लाइसेन्सी शस्त्रों के साथ खुले प्रदर्शन पर अंकुश लगाया जाये।
- बीट आरक्षी, स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं ग्राम चौकीदार को और अधिक सक्रिय कर ग्राम से सम्बन्धित छोटी से छोटी सूचना पर समय से निस्तारण कराया जाये।
- अवैध शस्त्र एवं अवैध शराब के सम्बन्ध में अभियान चलाकर विधिक कार्यवाही की जाय। विगत वर्षो में प्रकाश में आये व्यक्तियों/स्थलों की पुनः समीक्षा कर सक्रियता के आधार पर विधिक कार्यवाही की जाये।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशन में महिलाओं व बालिकाओं में सुरक्षा की भावना को और अधिक सुदृढ़ बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत प्रदेश में एन्टी रोमियो स्क्वायड द्वारा दिनॉक 01.01.2021 से 30.03.2021 तक कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत है :–

1	चेक किये गये सार्वजनिक स्थलों जैसे– चौराहों, मार्केट, पार्क, विद्यालय आदि की संख्या	4,28,302
2	चेक किये गये कुल व्यक्तियों की संख्या	17,16,253
3	धारा 107/116 द0प्र0सं0 में की गयी कार्यवाही संख्या	38,364
4	धारा 151द0प्र0सं0 में की गयी कार्यवाही की संख्या	22,845
5	धारा 294 भादवि में पंजीकृत अभियोगों की संख्या	917
6	गुण्डा एक्ट में की गयी कार्यवाही की संख्या	1,395
7	110 जी द0प्र0सं0 में की गयी कार्यवाही की संख्या	5,883

<u>जनपद बिजनौर/थाना कोतवाली देहात</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **चोरी की घटना का अनावरण,**
- **चोरी के 03 लाख 70 हजार रूपये नगद,**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय कारतूस,**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 31.03.2021 को थाना कोतवाली देहात व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगीना रोड स्थित जमजम ढाबे से 02 अभियुक्त 1–नौशाद 2–ऐजाज को गिरफ्तार कर जनसेवा केन्द्र में हुई चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 03 लाख 70 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय कारतूस, चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है। गिरफ्तार अभियुक्त नौशाद के विरूद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानो पर चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग व अभियुक्त ऐजाज के विरूद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानो पर चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। दिनॉकः 16/17.02.2021 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0—36/2021 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद नकदी उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

1—नौशाद निवासी ग्राम आलेअलीपुर उर्फ किरतपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर।

2—ऐजाज निवासी ग्राम आलेअलीपुर उर्फ किरतपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर।

बरामदगी :—

1—चोरी के 03 लाख 70 हजार रूपये नगद,

2—02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 04 जीवित कारतूस विभिन्न बोर।

3—01 चोरी की मोटर साइकिल।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना बांसी

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **चोरी के 52 हजार 240 रूपये नगद,**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय कारतूस,**
- **चोरी के 02 मोबाइल फोन,**
- **चोरी के 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 31.03.2021 को थाना बांसी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सोनखर बाग से 05 अभियुक्तो 1—संजय कुमार 2—वीरेन्द्र 3—हरिओम 4—दीपक 5—रमेश

को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 52 हजार 240 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय कारतूस, चोरी के 02 मोबाइल फोन, चोरी की 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना बांसी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

1–संजय कुमार निवासी गोनहा गोसाई थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

2–वीरेन्द्र निवासी गोनहा गोसाई थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

3–हरिओम निवासी गोनहा गोसाई थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

4–दीपक निवासी केवटलिया थाना उस्का बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

5–रमेश निवासी केवटलिया थाना उस्का बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी :–

1–चोरी के 52 हजार 240 रूपये नगद,

2–01 अवैध तमंचा 12 बोर मय कारतूस,

3–चोरी के 02 मोबाइल फोन,

4–चोरी की 02 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना सिविल लाइन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये के अर्थदण्ड)

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0डी0जे0–11 जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/120बी भादवि में अभियुक्त 1–इदरीश उर्फ छंगा 2–भूरा 3–हाकम को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद कौशाम्बी/थाना पिपरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 1,08,000–1,08,000 रू0 का अर्थदण्ड)

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0डी0जे0–8 जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना पिपरी पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 363/376(2)झ 302/201 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त 1–जगदीश 2–मुन्ना उर्फ अरविन्द को आजीवन कारावास की सजा व 1,08,000–1,08,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद बागपत/थाना रमाला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रू0 का अर्थदण्ड)

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश जनपद बागपत द्वारा थाना रमाला पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302 भादवि में अभियुक्त आलमगिर को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

––––––